भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,भोपाल

(भारत सरकार का उपक्रम)

बीएचईएल, देश के प्रमुख महारत्न अभियांत्रिकी संगठन भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र के रूप में बिजली तथा ट्रांसमिशन, उद्योग, परिवहन, अक्षय ऊर्जा, सुरक्षा आदि के क्षेत्र में विश्वस्तरीय उत्पाद तथा सेवाएँ प्रदान करता है। बीएचईएल 17 विनिर्माण प्रभागों, पावर क्षेत्र के 04 क्षेत्रीय केन्द्रों, 08 सेवा केन्द्रों एवं 15 क्षेत्रीय कार्यालयों के व्यापक विनिर्माण नेटवर्क में फैला हुआ है। बीएचईएल भोपाल, **मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों से शिक्षु अधिनियम 1961 के अनुसार सत्र 2016-17 के लिए निम्नवत, ट्रेड अप्रेंटिस (एक वर्षीय) शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित करता है:**

क्र.	**व्यवसाय**	**रिक्तियों की संख्या**	**योग्यता**
1.	विद्युतकार	140	• सभी व्यवसायों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10 वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। • ** मध्य प्रदेश में स्थित, एनसीव्हीटी (NCVT) द्वारा मान्यता प्राप्त आईटीआई से राष्ट्रीय व्यवसाय परीक्षा प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण । • *** सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। • ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें 1 वर्ष या इससे अधिक का कार्य अनुभव हो अथवा जिन्होने किसी संस्थान से 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वे अभ्यर्थी इस प्रशिक्षण के लिए पात्र नहीं हैं अतः ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
2.	फिटर	196	
3.	मशीनिष्ट कम्पोजिट	93	
4.	वेल्डर (गैस एवं इलेक्ट्रिक)	98	
5.	टर्नर	48	
6.	कंप्यूटर (COPA / PASAA)	33	
7.	ड्राफ्ट्समैन(मेकेनिक)	14	
8.	इलेक्ट्रानिक मेकेनिक	12	
9.	मेकेनिक मोटर व्हीकल	15	
10.	मशीनिष्ट ग्राइंडर	10	
11.	मेसन	05	
12.	पेंटर(सामान्य)	06	
13.	कार्पेंटर*	04	
14.	प्लंबर*	08	
	योग	**682**	

* इन व्यवसायों में प्रशिक्षण अवधि दो वर्षीय होगी ।

** बीएचईएल भोपाल के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी जिन्होने मध्य प्रदेश के बाहर से आईटीआई (NCVT) उत्तीर्ण की है, वो भी आवेदन कर सकते हैं।

*** बीएचईएल भोपाल के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी को न्यूनतम अंकों की बाध्यता नहीं होगी।

<u>आरक्षण एवं आयु में छूट</u>:

चयन प्रक्रिया में निम्नानुसार आरक्षण दिया जाएगा :

आरक्षित पद				
अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
342	102	102	136	682

- रिक्तियों की यह संख्या केवल अनंतिम है तथा समीक्षा के दौरान यह संख्या परिवर्तित हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न वर्गों / श्रेणियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या भी पुनरीक्षित हो सकती है।
- शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण क्षैतिज आधार पर है,रिक्तियाँ उचित श्रेणी अर्थात (अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति) में समायोजित की जाएगी।

<u>आयु सीमा</u>:

- उच्चतम आयु सीमा की गणना हेतु कट आफ दिनांक 31/03/2016 रहेगी ।
- सभी वर्गों / श्रेणियों में उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए।
- सभी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष रहेगी।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष की छूट प्राप्त होगी।
- शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट ग्राह्य है।
- बीएचईएल भोपाल के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी को उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

<u>चयन प्रक्रिया</u>:

- अर्हता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की छंटाई की जायेगी । तत्पश्चात, बीएचईएल भोपाल द्वारा प्राप्त हुये अर्ह आवेदनों की संख्या के आधार पर आगे की चयन प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी ।
- बीएचईएल भोपाल के कर्मचारियों के आश्रितों (पुत्र /पुत्रियों /पति /पत्नी) के आवेदनों पर पृथक रूप से विचार किया जाएगा।

<u>वृत्तिका / स्टाइपेंड</u>:

- श्रम और रोजगार मंत्रालय,भारत सरकार के अधिसूचना क्रमांक **(भारत का राजपत्र) सा.का.नि.680(अ.) दिनांक 22 सितंबर 2014** के अनुसार देय होगा,जो निम्नानुसार है :

(क) प्रशिक्षण के पहले वर्ष के दौरान	मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अधिसूचित अर्ध-कुशल कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी का 70 प्रतिशत
(ख) प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष के दौरान	मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अधिसूचित अर्ध-कुशल कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी का 80 प्रतिशत
(ग) प्रशिक्षण के तीसरे एवं चौथे वर्ष के दौरान	मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अधिसूचित अर्ध-कुशल कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी का 90 प्रतिशत

नोट: (क) मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अधिसूचित अर्ध-कुशल कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी दिनांक 01/10/2015 से 31/03/2016 तक **रू.7432/-प्रतिमाह** निर्धारित है ।

(ख) संदेय वृत्तिका की दर के अवधारण में प्रशिक्षुओं द्वारा राष्ट्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा लिए गए प्रशिक्षण यानि आईटीआई की अवधि को भी गणना में लिया जाएगा ।

- इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते / लाभ की पात्रता नहीं होगी।

<u>चिकित्सा / स्वास्थ्य मानक</u>:

- सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने पर ही शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए नियुक्ति की जाएगी।

- ❖ शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण से संबन्धित विभिन्न शारीरिक विकलांगताओं की परिभाषा (Equal Opportunities, Protection of Rights and full Participation) अधिनियम 1995 के अंतर्गत परिभाषित की गई है।
- ❖ उक्त उम्मीदवार आरक्षण के दावेदार तभी माने जाएंगे जब उनमें कोई भी वर्णित विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
- ❖ शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को उचित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

<u>आवेदन कैसे करें</u> :

- ❖ उपरोक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र केवल बीएचईएल भोपाल की भर्ती वेबसाइट पर ऑनलाईन ही स्वीकार किए जाएंगे।
- ❖ इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विज्ञापन एवं आवेदन भरने तथा जमा करने के विस्तृत दिशानिर्देश ,चयन से संबंधित सभी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट **www.bhelbpl.co.in** या वेबसाइट **www. bhelbpl.co.in/bplweb_new/careers/index.html** देखें एवं दिशानिर्देशों का अनुसरण करें।
- ❖ डाक द्वारा सीधे प्राप्त ऐसे आवेदन पत्र जिनमें ऑन लाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद प्राप्त पावती पर्ची अथवा यथानिर्दिष्ट संलग्नक नहीं होंगे, अस्वीकार कर दिये जाएंगे। इस संबंध में या अधूरे आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ❖ ऑन लाइन आवेदन भरने के लिए हमारी वेबसाईट दिनांक 12/12/2015 से 02/01/2016 (मध्य रात्रि) तक खुली रहेंगी।
- ❖ इच्छुक उम्मीदवार पावती पर्ची के साथ निम्नलिखित स्व-सत्यापित प्रमाणपत्र संलग्न कर साधारण डाक से इस तरह भेजे कि दिनांक 09/01/2016 तक **"पोस्ट बॉक्स नंबर 35,पोस्ट ऑफिस पिपलानी, बीएचईएल भोपाल,पिन कोड - 462022 (मध्य प्रदेश)"** पर पहुँच जाए ।

- जन्म प्रमाणपत्र अथवा दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र/अंकसूची ।
- शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र/अंकसूची- 10वीं / 12 वीं / स्नातक इत्यादि।
- आईटीआई / एनटीसी प्रमाणपत्र, अंकसूची सहित।
- मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाणपत्र।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र ।
- अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)जाति प्रमाणपत्र एवं स्वयं का वचनपत्र प्रारूप वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों के लिए चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र।

} यदि लागू हो (If applicable)

- **बीएचईएल भोपाल के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी को निम्न में से कोई एक दस्तावेज़ भी संलग्न करना होगा**:-
  - ➢ कर्मचारी माता/पिता/पति/पत्नी के मेडिकल टोकन की प्रति जिसमें आपका नाम व फोटो हो।
  - ➢ यदि कर्मचारी माता/पिता/पति/पत्नी सेवानिवृत्त हों, तो सेवानिवृत्ति का कार्यालय भाग-2 आदेश की प्रति तथा साथ में कोई ऐसा दस्तावेज़ जिसमें कर्मचारी माता/पिता/पति/पत्नी के साथ-2 परिवार का सम्पूर्ण विवरण (नाम,जन्मतिथि) आदि हो जिसमें आपका नाम भी हो ।
  - ➢ यदि कर्मचारी माता/पिता/पति/पत्नी मृतक हैं, तो कार्यालय भाग-2 आदेश की प्रति तथा साथ में कोई ऐसा दस्तावेज़ जिस में कर्मचारी माता / पिता के साथ-साथ परिवार का सम्पूर्ण विवरण (नाम, जन्मतिथि एवं फोटो) आदि हो जिसमें आपका नाम भी हो ।

<u>सामान्य निर्देश / शर्तें</u> :

1. उम्मीदवार कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि वे शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए आवश्यक योग्यता रखते हैं तथा उनके द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ सही हैं।
2. चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय यह पता चलता है कि उम्मीदवार निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करते हैं और/अथवा हमारी आवश्यकताओं पर खरे नहीं उतरते हैं और/अथवा उन्होंने कोई भी जानकारी छुपाई है तो उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जाएगा। उम्मीदवार के चयन के उपरांत भी अगर कोई विसंगति / कमी पता चलती है तो उम्मीदवार पर मुकदमे,प्रशिक्षण समाप्ति जैसी सख्त कार्यवाही की जा सकती है।
3. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक विकलांग उम्मीदवार कृपया अपनी श्रेणी ध्यानपूर्वक भरें,क्योंकि बाद में उनके द्वारा भरी गई कोई भी जानकारी किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जाएगी। उपरोक्त स्थिति में पावती पर्ची के साथ भेजे गए अनुलग्नक को ही अंतिम मान लिया जाएगा।
4. ध्यान रखें कि आपका प्रशिक्षण क्षेत्रीय शिक्षुता सलाहकार,कानपुर में आपका पंजीयन होने पर आधारित है, यदि किसी भी कारण आपका पंजीयन नहीं हो पाता है तो आपको प्रशिक्षण से मुक्त कर दिया जाएगा एवं आप राष्ट्रीय शिक्षुता परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे।
5. यदि उम्मीदवार अपने ऑनलाइन आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो वे फिर से नया ऑनलाइन आवेदन फार्म परिवर्तित विवरण के साथ प्रविष्ट कर सकते हैं। नए आवेदन फार्म की पावती पर्ची के साथ पुनः सभी आवश्यक प्रमाणपत्र हमारे पास भेजने होंगे। इस प्रकार के परिवर्तन आप केवल तीन बार ही कर सकते हैं।
6. चाहे गए प्रमाणपत्रों के साथ पावती पर्ची डाक द्वारा प्राप्त करने के पश्चात, बीएचईएल,अलग से भेजे गए दस्तावेजों को मूल दस्तावेजों के साथ संलग्न करने की ज़िम्मेदारी नहीं लेगा ।
7. विज्ञापन और/अथवा भेजे गए आवेदन पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही के निपटारे हेतु भोपाल तथा भोपाल स्थित न्यायालय/अधिकरण/फोरम को ही इसका एकमात्र अनन्य अधिकार होगा।
8. उम्मीदवार,चयन हेतु बीएचईएल द्वारा बनाए गए एवं भविष्य में बनाए जाने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
9. कंपनी के पास किसी भी आवेदन को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।
10. बीएचईएल को बिना पूर्व नोटिस या कारण बताए,चयन प्रक्रिया को रद्द करने / सीमित करने / बढ़ाने का अधिकार होगा।
11. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे चयन प्रक्रिया संबंधी जानकारी/निर्देश के लिए हमारी वेबसाइट **<u>www.bhelbpl.co.in</u>** या वेबसाइट **<u>www.bhelbpl.co.in/bplweb_new/careers/index.html</u>** देखते रहें। चयनित अभ्यर्थियों की सूची उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
12. चयन न होने की स्थिति में,अभ्यर्थियों द्वारा कोई भी पत्राचार या पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी।
13. **अभ्यर्थी ध्यान रखें कि यह विज्ञापन केवल शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए है,नौकरी या रोजगार के लिए नहीं। प्रशिक्षण के उपरांत बीएचईएल भोपाल किसी भी अभ्यर्थी को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही इस संबंध में कोई विचार किया जाएगा।**

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *